(b) if so, the reaction of Government thereto and what steps are being contemplated to remove the anomaly in the dispensation of justice?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

देश में दहेज संबंधी/दहेज विरोधी मामले

6480. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:
श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक राज्य की अदालतों में दहेज संबंधी और दहेज विरोधी कितने मामले दायर किये गए;

(ख) प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रत्येक मामले को दायर किए हुए कितना समय बीत चुका है;

(ग) दायर किए गए उक्त मामलों में से वधू को जलाए जाने, घर से निकाले जाने और मौत के घाट उतारे जाने के कितने मुकदमे दायर किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ऐसे मामले दायर करने वाली वधुओं को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का विचार रखती है;

(ङ) क्या सरकार देश में दहेज विरोधी मामलों के निपटारे हेतु विशेष अदालतों का गठन करने का विचार रखती है; और

(च) उक्त वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दहेज विरोधी कौन-कौन से मामले दायर किए गए?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(च) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि उसने अब तक दहेज संबंधी अपराधों की बाबत कोई मामला संस्थित नहीं किया है और न ही राष्ट्रीय महिला आयोग का यह कृत्य है कि वह न्यायालय में ऐसे मामले संस्थित करे।

Code for disciplining the lawyers

6481. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Supreme Court has favoured the idea of imposing discipline among the lawyers;

(b) if so, the steps taken by Government to formulate a code for imposing discipline among lawyers in deference to their advice; and

(c) by when the code in this regard is expected to be finalised by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) The Supreme Court has specified certain interim measures in relation to lawyers' strikes.

(b) and (c) The matter is under consideration of the Bar Council of India. It may not be possible to specify and time limit in this regard.

Properties of reliance Group of Industries

6482. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of estimated value of movable and immovable properties of the Reliance Group of Industries as on date including those located at New Delhi and Bombay Offices; and

(b) whether it is a fact that the Company has more than Rupees 500 crores worth of immovable properties that have been found unregistered and unlisted with Government records?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) The estimated value